लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामोद्योग मंत्रालय

मांग संख्या 71

लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामोद्योग मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2000-2001			संशोधित 2000-2001			बजट 2001-2002		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		729.47	133.77	863.24	705.97	131.44	837.41	776.53	140.68	917.21
पूंजी		*42.08*	*1.81*	*43.89*	*24.03*	*1.61*	*25.64*	*21.03*	*2.10*	*23.13*
जोड़		**771.55**	**135.58**	**907.13**	**730.00**	**133.05**	**863.05**	**797.56**	**142.78**	**940.34**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	2.07	2.07	...	2.02	2.02	...	3.62	3.62
लघु उद्योग										
2. लघु उद्योग विकास आयुक्त (लाइब्रेरी सहित)	2851	1.92	7.54	9.46	2.02	7.18	9.20	1.10	7.91	9.01
3. लघु उद्योगों के विकास के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को अनुदान	2851	22.00	5.50	27.50	34.25	5.50	39.75	29.00	5.50	34.50
4. अन्य लघु उद्योग स्कीमें	2851	67.80	36.00	103.80	67.21	35.28	102.49	102.21	38.03	140.24
	3601	3.85	...	3.85	4.21	...	4.21	26.92	...	26.92
	3602	0.15	...	0.15	0.18	...	0.18	0.40	...	0.40
	4851	4.08	...	4.08	4.03	...	4.03	4.03	...	4.03
	जोड़	*75.88*	*36.00*	*111.88*	*75.63*	*35.28*	*110.91*	*133.56*	*38.03*	*171.59*
5. प्रधानमंत्री की रोजगार योजना	2851	201.00	...	201.00	201.00	...	201.00	193.50	...	193.50
खादी तथा ग्रामोद्योग										
6. स्वादी तथा ग्रामोद्योग आयोग										
6.01 स्वादी उद्योग	2851	106.00	48.10	154.10	107.00	48.10	155.10	106.30	52.25	158.55
6.02 अन्य ग्रामोद्योग	2851	60.00	...	60.00	62.00	...	62.00	86.70	...	86.70
	जोड़	*166.00*	*48.10*	*214.10*	*169.00*	*48.10*	*217.10*	*193.00*	*52.25*	*245.25*
7. नारियल जटा उद्योग	2851	17.00	6.08	23.08	16.25	4.50	20.75	17.90	5.01	22.91
	3601	3.00	...	3.00	0.50	...	0.50	0.10	...	0.10
	6851	...	0.30	0.30	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10
	जोड़	*20.00*	*6.38*	*26.38*	*16.75*	*4.60*	*21.35*	*18.00*	*5.11*	*23.11*
8. ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता										
8.01 स्वादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (स्वादी उद्योग)	2851	19.00	23.00	42.00	19.00	23.00	42.00	19.00	23.00	42.00
8.02 स्वादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (अन्य ग्रामोद्योग)	2851	5.00	5.36	10.36	5.00	5.36	10.36	5.00	5.36	10.36
	जोड़	*24.00*	*28.36*	*52.36*	*24.00*	*28.36*	*52.36*	*24.00*	*28.36*	*52.36*
9. ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम-उच्च अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन	2851	110.00	...	110.00	80.00	...	80.00	120.00	...	120.00
10. सरकारी उद्यमों को आयोजना-भिन्न ऋण										
10.01 स्वादी तथा ग्रामोद्योग आयोग	6851	...	1.51	1.51	...	1.51	1.51	...	2.00	2.00
11. सरकारी उपक्रमों में निवेश -										
एन.एस.आई.सी.	4851	18.00	...	18.00	...	...	...	...	...	...
11.01 खादी और ग्रामोद्योग के विकास के लिए ऋण	6851	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	17.00	...	17.00
	जोड़	*38.00*	*...*	*38.00*	*20.00*	*...*	*20.00*	*17.00*	*...*	*17.00*
12 विवेकपूर्ण श्रम का पुनर्गठन और पुन प्रशिक्षण	2851	0.75	...	0.75	0.90	...	0.90	0.40	...	0.40
13. अन्य स्कीमें	2851	12.00	0.12	12.12	6.45	0.50	6.95	8.00	...	8.00
14. ऋण गारंटी स्कीम	2851	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	60.00	...	60.00
कुल जोड़		***771.55***	***135.58***	***907.13***	***730.00***	***133.05***	***863.05***	***797.56***	***142.78***	***940.34***
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
ग्राम और लघु उद्योग										
11.01 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम	12851	18.00	120.00	138.00	...	120.00	120.00	...	120.00	120.00
11.02 के.वी.आई.सी. - स्वादी उद्योग	12851	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00
11.03 के.वी.आई.सी.-अन्य ग्राम उद्योग	12851	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	2.00	...	2.00
11.04 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	12851	...	20.00	20.00	...	...	...	...	15.00	15.00
11.05 राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद	12851	...	4.00	4.00	...	...	...	...	...	...

(करोड़ रुपए)

	विकास शीर्ष	बजट 2000-2001 बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	संशोधित 2000-2001 बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट 2001-2002 बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
11.06 भारतीय उद्यमशीलता संस्थान, गुवाहाटी	12851	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50
11.07 राष्ट्रीय उद्यमशीलता और लघु कारोबार विकास संस्थान, नई दिल्ली	12851	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50
जोड़		**38.00**	**145.00**	**183.00**	**20.00**	**121.00**	**141.00**	**17.00**	**136.00**	**153.00**
ग. आयोजना परिव्यय										
1. ग्राम और लघु उद्योग	12851	775.00	145.00	920.00	733.45	121.00	854.45	800.00	136.00	936.00
जोड़		**775.00**	**145.00**	**920.00**	**733.45**	**121.00**	**854.45**	**800.00**	**136.00**	**936.00**
** इसमें शहरी विकास मंत्रालय की मांग में निर्माण कार्य परिव्यय के लिए की गई व्यवस्था शामिल है।*										
मांग संख्या 80	12851	0.45	...	0.45	0.45	...	0.45	0.45	...	0.45
मांग संख्या 81	12851	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	1.99	...	1.99
	जोड़	3.45	...	3.45	3.45	...	3.45	2.44	...	2.44

1. **सचिवालय आर्थिक सेवाएं:** इसमें लघु उद्योग एवं कृषि ग्रामोद्योग मंत्रालय के लिए वेतन तथा कार्यालय व्यय की व्यवस्था है।

2. विकास आयुक्त (पुस्तकालय सहित) : विकास आयुक्त का कार्यालय जिसके प्रधान विकास आयुक्त हैं, देश में लघु उद्योगों के संवर्धन और विकास की नीतियों और कार्यक्रमों का निर्माण, समन्वयन और अनुवीक्षण करने के लिए एक शीर्षस्थ निकाय है। यह लघु उद्यगों के विकास से संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों, योजना आयोग, राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थाओं, स्वैच्छिक संगठनों और अन्य संगठनों से निकट सम्पर्क बनाए रखता है।

यह विशिष्ट प्रकार के उद्योगों के संकेन्द्रण वाले क्षेत्रों में 28 लघु उद्योग सेवा संस्थाओं, 30 बड़ी उद्योग सेवा संस्थाओं, 4 प्रादेशिक परीक्षण केन्द्रों, 1 उत्पादन केन्द्र, 7 क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्रों, एक समेकित प्रशिक्षण केन्द्र (उद्योग), नीलोखेड़ी, एच.टी.डी.डी. एण्ड टी.सी., नागपुर के नेटवर्क के माध्यम से लघु उद्योग इकाईयों को व्यापक रूप में सुविधाएं और सेवाएं, यंत्रों की सुविधा, विपणन सहायता आदि प्रदान करता है।

3. **लघु उद्योगों के विकास के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड को अनुदान:** एन.एस.आई.सी., किराया-खरीद पर मशीनों की पूर्ति, बाजार संवर्धन, स्वदेशी और आयातित दोनों प्रकार की कच्ची सामग्री की व्यवस्था, प्रौटोटाइप विकास और टर्न-की परियोजनाओं के निर्यात के लिए सामान्य सुविधाओं के माध्यम से लघु उद्योगों के विकास और संवर्धन के लिए उत्तरदायी है।

4. **अन्य लघु उद्योग योजनाएं:** इसमें मुख्यतया विशिष्ट संस्थाओं जैसे कि केन्द्रीय यंत्र डिजाइन संस्थान हैदराबाद, भुवनेश्वर और कलकत्ता स्थित केन्द्रीय यंत्र कक्ष एवं प्रशिक्षण केन्द्र, केन्द्रीय यंत्र कक्ष, लुधियाना, केन्द्रीय हस्त यंत्र संस्थान, जालन्धर, इन्दौर, औरगांबाद और अहमदाबाद स्थित 3 भारत-जर्मन यंत्र कक्ष और भारत-डैनिश यंत्र कक्ष, जमशेदपुर, के लिए व्यवस्था है। इसमें इलैक्ट्रिकल माप उपकरण डिजाइन संस्थान (आई.डी.ई.एम.आई.), मुम्बई, राष्ट्रीय लघु उद्योग प्रसार प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद, राष्ट्रीय उद्यम और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एन.आई.ई.एस.बी.यू.डी.), नई दिल्ली और इलैक्ट्रानिक सेवा और परीक्षण केन्द्र, रामनगर (उ.प्र.), आगरा और चेन्नई स्थित केन्द्रीय फुटवियर प्रशिक्षण संस्थान, आगरा और मेरठ पी.पी.डी.सी., सुगन्ध और सुस्वाद विकास केन्द्र, कन्नौज और कांच विकास उद्योग केन्द्र, फिरोजाबाद जो सम्बद्ध विशिष्ट क्षेत्रों में प्रशिक्षण और तकनीकी सेवाएं प्रदान करते हैं, की भी व्यवस्था है। यह समेकित आधार ढांचा विकास, आंकड़ों के संग्रहण, सेनेट (एस.ई.एन.ई.टी.) परियोजना आदि जैसी चालू योजनाओं की भी व्यवस्था करती है।

इसमें उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाने, निर्यात की संभावना बढ़ाने, प्रसंस्करण में परिवर्तन लाने, ऊर्जा संरक्षण, प्रदूषण नियत्रंण के लिए लघु उद्योग की गुणवत्ता का दर्जा बढ़ाने और इनके आधुनिकीकरण संबंधी विभिन्न योजनाओं के लिए भी व्यवस्था की जाती है। आधुनिकीकरण एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन के तहत विभिन्न योजनाएं इस प्रकार हैः (i) आई.एस.ओ.9000 प्रमाणन प्राप्त करने की प्रोत्साहन योजना (ii) आई.एस.ओ.9000 संबंधी जागरुकता एवं अभिप्रेरणा प्रयोजन कार्यक्रम (iii) एन.पी.आर.आई. सहित यू.पी.टी.ई.सी.एच. योजना और (iv) लघु उद्योग विकास संगठन कार्यशालाओं का आधुनिकीकरण (v) एस.एम.ई. के प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए ऋण संबंद्ध सब्सिडी।

5. **प्रधान मंत्री की रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई):** शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्व-रोजगार प्रदान करने के लिए प्रधान मंत्री की रोजगार योजना 2 अक्तूबर, 1993 से लागू है। इस योजना का उद्देश्य योग्य युवाओं को उद्योग, सेवा और कारोबार क्षेत्र में स्व-रोजगार उद्यमों की स्थापना करने में सहायता देना है। इसमें आठवीं योजना के दौरान 7 लाख वृहत उद्यमों की परिकल्पना की गई थी।

प्रधान मंत्री की रोजगार योजना स्व-रोजगार उद्यमों को स्थापना करने में वित्तीय और अन्य उद्यम विकास सहायता प्रदान करके शिक्षित बेरोजगार युवाओं के रोजगार सृजन की एक मुख्य केन्द्रीय क्षेत्र योजना के रूप में उभर कर आई है। योजना के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और जैसाकि भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि प्रधान मंत्री की रोजगार योजना के अन्तर्गत आठवीं योजना के दौरान इसके प्रारम्भ होने से लेकर अब तक 7,74 लाख व्यक्तियों को ऋणों की मंजूरी दी गई है।

यह योजना नवीं योजना के दौरान भी लागू है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 1997-98 और 1998-99 और 1999-2000 के दौरान 7.91 लाख व्यक्तियों को ऋणों की मंजूरी दी जा चुकी है। वर्ष 2000-2001 के दौरान नवम्बर, 2000 तक और 0.73 लाख व्यक्तियों को ऋण मंजूर किए गए हैं। प्रधान मंत्री की रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2001-2002 के लिए 2.20 लाख लाभानुभोगियों का प्रत्याशित लक्ष्य है।

6. **खादी और ग्रामोद्योग आयोग:** खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 के तहत आयोग की स्थापना ग्रामीण जनता के लिए अधिक रोजगार सृजन करने की दृष्टि से खादी और ग्रामोद्योगों के विकास के लिए कार्यक्रमों की योजना तैयार करने, उनके आयोजन तथा कार्यान्वयन के लिए की गई है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग को खादी पर त्यौहार के मौसम के दौरान पोली वस्त्र सहित खादी और खादी उत्पादों पर छूट प्रदान करने के लिए, परिसरों की खरीद/किराए पर लेने, विज्ञापन और प्रचार, नई डिजाइन आदि लागू करने के लिए अनुदान दिए जाते हैं।

7. **नारियल जटा उद्योग:** इसके अन्तर्गत नारियल जटा उत्पादों के निर्यात संवर्धन सहित देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी व नारियल जटा उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुदानों पर होने वाले व्यय की पूर्ति के लिए व्यवस्था की जाती है। इस प्रावधान में नारियल जटा उद्योगों के सहकारीकरण करने की केन्द्र प्रायोजित स्कीमों, छूट और मॉडल नारियल जटा ग्रामों और जूट उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए योजना हेतु निधियां भी शामिल है।

8. **ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता**

8.01 **खादी व ग्रामोद्योग आयोग (खादी उद्योग):** खादी को ब्याज के बदले सब्सिडी प्रदान की जाती है।

8.02 **ग्रामोद्योग:** ग्रामोद्योग उत्पादों के लिए सीमांत राशि स्कीम ने ब्याज सब्सिडी का स्थान ले लिया है।

9. **ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम - उच्च अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयनः** खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र से सम्बद्ध उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने सन् 2000 तक खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र में 20 लाख अतिरिक्त रोजागर सृजन की सिफारिश की है। इस कार्यक्रम में ग्रामीण उद्योग क्षेत्र में खादी और ग्रामोद्योगों के विकास के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार सृजित करने की परिकल्पना की गई है।

10. **सरकारी उद्यमों को गैर आयोजना-भिन्न ऋण**

10.01 **खादी और ग्रामोद्योग आयोगः** इसमें कर्मचारियों को गृह निर्माण के लिए अग्रिम देने के लिए व्यवस्था है।

11. **सरकारी उद्यमों में निवेशः** इसमें सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को योजनाओं के अंतर्गत कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए उनकी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इक्विटी व ऋण प्रदान करने की व्यवस्था है।

11.01 **राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एन.एस.आई.सी.)**ः राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना और इसका पंजीकरण कम्पनी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत किया गया था। इसके कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ, लघु उद्योग की इकाइयों को किराया खरीद आधार पर आयातित और स्वदेशी मशीनों की सप्लाई करना, कच्ची सामग्री और फालतू पुर्जों आदि की पूर्ति और वितरण, आंतरिक बाजार और विदेशी बाजार प्रौद्योगिकियों का उन्नयन और तकनीकी प्रशिक्षण तथा सामान्य सुविधाओं की व्यवस्था करना शामिल है। पिछड़े और पर्वतीय क्षेत्रों में इसके क्रियाकलापों और सेवाओं को चलाने के लिए वैकल्पिक वित्त प्राप्त करने के लिए इक्विटी के माध्यम से बजटीय सहायता प्राप्त है।

11.02 **खादी और ग्रामोद्योग आयोगः** खादी और ग्रामोद्योग की स्थापना खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के अधीन, खादी और ग्रामोद्योग के विकास संबंधी कार्यक्रमों की योजना तैयार करने व उनके कार्यान्वयन के लिए की गई है। इसका उद्देश्य सामाजिक रूप से पिछड़े व समाज के कमजोर वर्गों के कारीगरों के लिए खादी और कुटीर तथा ग्रामोद्योगों के संवर्धन के माध्यम से ग्रामीण लोगों के लिए और अधिक रोजगार उत्पन्न करना है। इस प्रयोजन के लिए इसमें राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी और ग्रामोद्योग संस्थानों आदि को ऋण देने के लिए व्यवस्था शामिल है।

12. **युक्ति-संगत श्रमिकों को परामर्श और पुनर्प्रशिक्षणः** इसमें विकास आयुक्त (एस.एस.आर.) द्वारा प्रौद्योगिकी उन्नयन और आधुनिकीकरण द्वारा प्रभावित श्रमिकों के परामर्श और पुनर्प्रशिक्षण और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन का प्रावधान है।

13. **अन्य स्कीमें**ः इसमें व्यापार और निवेश संबंधों के संवर्धन के लिए वृहत संस्थागत सहायता के लिए भारतीय उद्यमों और विदेशी एस.एम.ई. के बीच अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के संवर्धन के लिए; लघु उद्योग का सर्वेक्षण तथा अध्ययन; ग्राम तथा ग्रामीण उद्योग क्षेत्र; महिलाओं के लिए व्यापार संबंधी उद्यम पूर्ण सहायता विकास कार्यक्रम के लिए भुगतान की व्यवस्था है।

14. **लघु उद्योग क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी**ः इसमें भारतीय ऋण गारंटी निधि स्कीम (सी.जी.एफ.एस.आई.) को योगदान की व्यवस्था है जो बिना किसी सहयोग के लघु/छोटे एस.एस.आई. इकाइयों को ऋण देने के लिए गारंटी कवर प्रदान करेगा।